



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 19 फरवरी, 2024

माघ 30, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या 397/36-03-2024-17(सा०)-2023

लखनऊ, 19 फरवरी, 2024

अधिसूचना

प०आ०-46

कारखाना अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 63 सन् 1948) की धारा 66 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परंतुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या-647/36-03-2022-17 (सा०)/2022 दिनांक 27 मई, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में,-

एक- क्रम संख्या-7, 9 और 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

7- सायं 07:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे के मध्य कार्य समय के दौरान, कारखानों के परिसर या विभाग में तीन महिला कर्मकारों से कम नहीं नियोजित किया जाएगा।

9- नियोजक रात्रि पाली के दौरान लगे हुए महिला कर्मकारों के विवरण के संबंध में संबंधित क्षेत्र के कारखानों के निरीक्षक को इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा रूप से मासिक रिपोर्ट प्रेषित करेगा और लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी घटना की स्पष्ट रिपोर्ट भी निरीक्षक को प्रेषित करेगा।

13- जहां किसी कारखाने का नियोजक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी शर्त का अतिक्रमण करता है, नियोजक को अतिक्रमण की पहचान करते हुए एक नोटिस जारी किया जायेगा और नियोजक को इस नोटिस का अनुपालन करने के लिए सात दिवस का समय देते हुए उक्त नोटिस में पहचाने गये अतिक्रमणों को ठीक करने के लिये कदम उठाने का निदेश दिया जाएगा।"

दो-विद्यमान क्रम संख्या-13 के पश्चात, निम्नलिखित नवीन क्रम संख्या 14 बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

"14- कारखाना परिसर के रात्रि पाली में महिला कर्मकारों के लिये उपयोग किये जाने वाले परिवहन में सीसीटीवी कैमरे संस्थापित किये जाएंगे। रात्रि पाली में महिला कर्मकारों के लिए उपयोग किये जाने वाले परिवहन भी जीपीएस प्रौद्योगिकी के माध्यम से पता लगाया जायेगा।"

आज्ञा से,

अनिल कुमार III,  
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 397/XXXVI-03-2024-17(Sa.)-2023, dated February 19, 2024 for general information:

No. 397/XXXVI-03-2024-17(Sa.)-2023

Dated Lucknow, February 19, 2024

IN exercise of the powers under proviso to clause (b) of sub-section (1) of section 66 of the Factories Act, 1948 (Act no. 63 of 1948), the Governor is pleased to make the following amendment in Government Notification no. 647/36-3-2022-17(Sa.)/2022 dated May 27, 2022.

#### AMENDMENT

In the aforesaid notification,-

i. for serial nos. 7, 9 and 13 and entries relating thereto, the following serial numbers along with the entries relating thereto shall be *substituted*, namely :-

"7. During the working hours between 07:00 PM to 06:00 AM, not less than three women workers shall be employed in the premises or department of the factory.

9. The employer shall send a monthly report electronically or otherwise to the Inspector of factories of the region concerned about the details of women workers engaged during night shift and shall also send to the Inspector an express report of any incident of sexual harassment.

13. Where the employer of a factory violates any condition specified in this notification, a notice shall be issued to the employer identifying the violations and directing the employer to take steps correcting the violations identified in the said notice, giving the employer seven days time to comply with this notice."

ii. after the existing serial no. 13, the following new serial no. 14 shall be *inserted*, namely:-

14. CCTV cameras shall be installed in the factory premises and in the transportation used for women workers in the night shift. The transportation used for women workers in the night shift shall also be traceable *via* GPS technology."

By order,  
ANIL KUMAR III,  
Prमुख Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 1124 राजपत्र-2024-(3137)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 377 सा0 श्रम-(3138)-100+100=200 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।